

(6)

कार्यालय निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़:

आदेश क्रमांक: 23/264 - 98 दिनांक, चण्डीगढ़: 13.11.98

ब्रह्मानन्द पब्लिक स्कूल सैक्टर-8 अर्बन इस्टेट करनाल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से 10+2 स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

सुनीता वर्मा,  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
चण्डीगढ़

प्रकृ0 सम दिनांक, चण्डीगढ़: 23.11.98

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी करनाल को उनके यादी क्र0 जी-11/97/6108-09 दिनांक 22.10.98 के संदर्भ में।

2. प्रमुख/प्रधानाचार्य ब्रह्मानन्द पब्लिक स्कूल सैक्टर-8 अर्बन इस्टेट करनाल

3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्प्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092.

अधीनस्थ विद्यालय-1  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
चण्डीगढ़। R.E.